माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधानमंत्री जी ।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): दादा, ठीक हो? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के प्रेरक उद्बोधन पर आभार प्रस्ताव की चर्चा में शरीक होने के लिए और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ नागरिकों की संकल्प शक्ति का परिचायक है। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर अचीव करता हुआ आगे बढ़ता है, ये सारी बातें विस्तार से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही हैं। उनका एक-एक शब्द देशवासियो में एक नया विश्वास पैदा करने वाला है और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने वाला है और इसलिए हम उनका जितना आभार व्यक्त करें, उतना कम है। इस सदन में भी 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। रात को 12-12 बजे तक हमारे सभी माननीय सांसदों ने इस चेतना को जगाए रखा है, चर्चा को जीवंत बनाया है, अधिक शार्पन किया है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में उनकी भागीदारी भी ज्यादा थी, विचारों की धार भी थी, रिसर्च करके बातें रखने का उनका प्रयास था और अपने आपको इस प्रकार से तैयार करके उन्होंने इस सदन को समृद्ध किया है, चर्चा को समृद्ध किया है और इसलिए उनकी इस तैयारी, उनके ये तर्क और उनकी सूझ-बूझ के लिए मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में है, एक प्रकार से हम अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिन्दुस्तानी के लिए गर्व का विषय है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है और इसलिए समाज व्यवस्था में हम कहीं पर भी हों, देश के किसी भी कोने में हों और चाहे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में हमारा स्थान कहीं पर भी हो । लेकिन हम सभी मिलकर आजादी

के इस पर्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके, नये संकल्प लेकर के वर्ष 2047 में, जब देश आजादी के सौवें वर्ष को मनाएगा, उन सौ साल की भारत की आजादी के 25 साल हमारे सामने आने हैं और इन 25 साल में हम देश को कहां ले जाने वाले हैं, दुनिया में इस देश की मौजूदगी कहां करनी है, यह संकल्प हर देशवासी के दिल में हो, ऐसा वातावरण बनाने का काम इस परिसर का है, इस पवित्र धरती का है, इस पंचायत का है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश जब आजाद हुआ तो जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे, वे जब यहां से गए तो आखिर तक वे यही कहते रहते थे कि भारत कई देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा। ऐसी घोषणाएं हुई थीं। लेकिन भारतवासियों ने ऐसी आशंकाओं को तोड़ा। जिनके मन में इस प्रकार के शक थे, उनको समाप्त कर दिया। हमारी अपनी जिजीविषा यानी सांस्कृतिक एकता और हमारी परम्पराएं, आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में हैं और विश्व के लिए आशा की किरण बनकर हम खड़े हुए हैं। यह हमारी 75 साल की यात्रा में सम्भव हो पाया है। कुछ लोग यह कहते थे- "India was a Miracle Democracy." यह भ्रम भी हमने तोड़ा है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी सांसों में एक प्रकार से बुना हुआ है। हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावना से भरा रहता है। अनेक चुनाव आए, अनेक सत्ता परिवर्तन हुए, बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तन हुए और परिवर्तित सत्ता व्यवस्था को सभी ने हृदय से स्वीकार करके आगे बढ़ाया। 75 साल का यह क्रम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए रहा है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। सैंकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, भांति-भांति का पहनावा, क्या कुछ विविधताओं से भरा हुआ नहीं है और उसके बावजूद भी हमने "एक लक्ष्य-एक राष्ट्र" को करके दिखाया है।

आज जब हम भारत की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, जिसको मैं यहां पर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था- "Every nation has

a message to deliver, a mission to fulfil, a destiny to reach.” यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है, जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है, जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र की एक नियति होती है, जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरम्यान भारत ने जिस प्रकार से अपने आपको सम्भाला और दुनिया को सम्भलने में मदद की है, यह एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिन भावनाओं और संस्कारों को लेकर, “वेद से विवेकानंद” तक हम पले-बढ़े हैं, वह है- “सर्वे भवन्तु सुखिन:”। इस “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:” को भारत ने इस कालखण्ड में करके दिखाया है। एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत ने जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जनसामान्य ने उठाए हैं, लेकिन जब हम उन दिनों को याद करते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दो विश्व युद्धों ने दुनिया को झकझोर दिया था।

मानव जाति, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे। निराशा छाई हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने की शपथ हुई। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को ले कर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ। इंस्टिट्यूशंस बने। भांति-भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए, ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकाला। अनुभव यह निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी, हर कोई, जिसकी ताकत थी, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वह सैन्य शक्ति अनेक गुणा बढ़ गई। छोटे-मोटे देश भी सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन इस हकीकत को विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी-बड़ी ताकतें और पुरजोर से चल पड़ीं। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वे इसी कालखण्ड में, सैन्य शक्ति के लिए हुए।

पोस्ट कोरोना भी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूकदर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते थे तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वह कालखण्ड भी वैसा ही था।

लेकिन आज, पोस्ट कोरोना, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनीशिएट करेगा, वह तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है।

ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट कर नहीं रह सकता है। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मज़बूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वह एक ताकत है। लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए, भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत।

महोदय, आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं। हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा, और जिसकी रगों में "सर्वे सुखिन: भवन्तु" का मंत्र जड़ा हुआ है, वह जितना सामर्थवान होगा, उतना ही वह मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत के इस विचार को बल दें। यह हम मान कर चलें कि यह किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है। यह किसी राजनेता का विचार नहीं है। आज हिन्दुस्तान के हर कोने में "वोकल फॉर लोकल"-"वोकल फॉर लोकल" सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगा कर देखते हैं कि लोकल है। यह आत्मगौरव का भाव, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियां,

हमारे निर्णय, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो, उस बदलाव की ओर होने चाहिए। यह मेरा मत है।

इस चर्चा के अन्दर करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है। हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, इसके बारे में दुनिया में जो अनुमान लगाए गए थे, बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाए थे। भारत में भी भय का एक वातावरण पैदा करने के भरसक प्रयास भी हुए थे। एक 'अननोन एनेमी' था, तो विश्वास से कोई कुछ नहीं कह सकता था, विश्वास से कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। एक ऐसे 'अननोन एनेमी' के खिलाफ लड़ना और इतना बड़ा देश, इतना थिक्ली पॉपुलेटेड देश, इतनी कम व्यवस्थाओं वाला देश- दुनिया को शक होना स्वाभाविक था क्योंकि विश्व के बड़े-बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। तब भारत कैसे टिक पाएगा? अगर एक बार भारत की हालत खराब हो गई तो विश्व को कोई नहीं बचा पाएगा, यह समीकरण भी लोग लगा रहे थे। ऐसे में ये 130 करोड़ देशवासियों की डिसिप्लिन, उनके समर्पण ने आज हमें बचा कर रखा है। The credit goes to 130 crore *Hindustanis*. इसका गौरवगान हमें करना चाहिए। भारत की पहचान बनाने के लिए यह भी एक अवसर है। हम अपने आपको कोसते रह कर कहें कि दुनिया हमें स्वीकार करे, यह कभी सम्भव नहीं होगा। हम घर में बैठ कर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर दुनिया हमें स्वीकार करेगी। अगर आप अपने बच्चे को घर में नहीं स्वीकार करते हैं और चाहेंगे कि मोहल्ले में बच्चे को स्वीकार किया जाए तो क्या कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया का नियम है। इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए।

श्रीमान् मनीष तिवारी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है, कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से, जरूर कुछ कहना चाहूंगा। यह भगवान की ही कृपा है, जिसके कारण इतनी बड़ी दुनिया हिल गई, हम बच गए। यह भगवान की कृपा है, क्योंकि वे डॉक्टर्स, वे नर्सेज़ भगवान का रूप बन कर आए। वे डॉक्टर्स, वे नर्सेज़ अपने छोटे-छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा, यह कह कर जाते थे और पन्द्रह-पन्द्रह दिनों तक लौट नहीं सकते थे। वे भगवान का रूप लेकर आए थे, इसीलिए हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मौत और जिन्दगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कामगार वहां जाकर उसको साफ करता था, साफ-सुथरा रखने का प्रयास करता था। भगवान का रूप इन सफाई कामगारों के रूप में आया था। वह एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा-लिखा नहीं था। उसे पता था कि मैं, जिसे लेकर जा रहा हूं, वह कोरोना पॉजिटिव है। वह एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था, हजारों की जिन्दगी बचाने। इसलिए भगवान का रूप ही था, जिसने हमें बचाया। लेकिन, भगवान अलग-अलग रूप में आए थे। हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरव गान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरव गान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों के इस पराक्रम को याद कीजिए, आपके अन्दर भी ऊर्जा आ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोरोना काल एक कसौटी का काल था, जिसमें सच्ची कसौटी तब होती है, जब संकट होता है, सामान्य स्थिति में यह बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। दुनिया के बड़े-बड़े देश, कोरोना में जो हुआ, वह तो है, लेकिन उन्होंने हरेक ने तय किया कि अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुचाएंगे, ताकि इस संकट की घंटी में उनके नागरिकों को भी मदद मिले। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका और इस वातावरण के कारण, चाहते हुए भी और खजाने में पाउण्ड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने

नागरिकों तक नहीं पहुँच पाएं। बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएँ बंद, कुछ नहीं कर पाए। इरादा था, घोषणाएँ भी हुईं। यह हिन्दुस्तान है, जो इस कोरोना काल खंड में भी करीब-करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुँचा सकता है। आठ महीने तक राशन पहुँचा सकता है। यही भारत है, जिसने जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपये इस काल खंड में लोगों तक पहुँचा दिए। दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन एकाउंट इतना गरीब के काम आया, लेकिन कभी-कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे! कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे! मैं कभी-कभी हैरान हूँ और आज मैं इस बात को बार-बार बोलूँगा।

अध्यक्ष जी, मुझे क्षमा करना। …(व्यवधान) मुझे एक मिनट का भी विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। …(व्यवधान) इस सदन में कभी-कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ठेले वाले, रेहड़ी-पटरी वाले को इस कोरोना काल खंड में धन मिले, उनके पैसे मिले, यह उनके लिए किया गया और ये हम कर पाएं हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस काल खंड में भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा और हम इस इरादे से चलें कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेगें। आपने देखा होगा कि डे वन से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए। इसका परिणाम है, आज ट्रैक्टर हो, गाडियाँ हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाइएस्ट हुआ है। ये सारे आँकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रहे हैं। यह दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। दुनिया के जो लोग हैं, उन्होंने यह अनुमान भी लगाया है कि करीब-करीब दो डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य

होगा। दो डिजिट की ग्रोथ की संभावनाएँ सभी पंडितों ने कही है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में तीन कृषि कानून भी लाए गए। यह कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियाँ महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना ही होगा। उसे करने की दिशा में हमने ईमानदारी से एक प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं हैं, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमें अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दृष्टि से हमने प्रयास किया है। मैं देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेषकर हमारे कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं यह तो देख रहा था कि वे इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंड पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी।

दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बतायेंगे, लेकिन वे ज्यादातर प्रधान मंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो …(व्यवधान) यह कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हां, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई-बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणायें बनाई गईं, जो अफवाहें फैलाई गईं, उसके शिकार हुए हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं इसका विरोध करता हूं। अफवाह कैसे कह सकते हैं?

श्री नरेन्द्र मोदी: मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद आप सब कीजिए । आपको मौका मिला था ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अफवाह की बात आप कर रहे हैं। हमारा किसान क्या **…** * है, हमारा किसान बुद्धू है क्या, जो अफवाह में लोगों के फंस जाते हैं?

श्री नरेन्द्र मोदी: आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं ।…(व्यवधान) कैलाश चौधरी जी ने और …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था। आपने पूरी बात कही। उस समय किसी ने टोका-टोकी नहीं की।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: देखिए, मैं आपकी कितनी सेवा करता हूं, आपको जहां रजिस्टर करवाना था, हो गया । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: प्रधान मंत्री जी आप सबके प्रधान मंत्री हैं। हिंदुस्तान के किसानों के भी आप प्रधान मंत्री हैं। …(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का यह सदन भी और यह सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगी और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ

---

* Not recorded.

मंत्री, जब यह आंदोलन पंजाब में था, तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली आने के बाद ही बात हुई । हम किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ वार्ता कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या इसीलिए बार्डर पर कीलें लगा दी गई हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

श्री नरेन्द्र मोदी: अधीर बाबू जी, क्या कुछ और कहना है? …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down.

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, बीच-बीच में ऐसा करना जरूरी होता है। जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी किसानों से लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या हैं, उसको ढूढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि हम एक-एक मुद्दे पर चर्चा करें।

नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने राज्य सभा में इसे विस्तार से बताया भी है। हम क्लॉज वाई क्लॉज चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी है और अगर सचमुच में इससे किसान का नुकसान होता है तो इसमें बदलाव करने में क्या जाता है। यह देश देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए करते है। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अगर वे कोई स्पेसिफिक चीज बताते हैं और वह कन्विन्सिंग है तो हमें बदलाव करने में कोई संकोच नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह चुके हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको पर्याप्त समय और अवसर दिया था, किसी ने टोका-टोकी नहीं की थी। माननीय सुरेश जी, बैठ जाइए। यह ठीक तरीका नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज आप बैठ जाइए, आपको किसने बोलने के लिए कहा?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.आर. बालू जी, मैं आपको पर्याप्त समय और अवसर देता हूं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. आपका कुछ भी नोट नहीं हो रहा है।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों कानून ऑर्डेनन्स के द्वारा लाए गए थे, बाद में पार्लियामेंट से पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है और न ही कानून लागू होने के बाद कहीं एमएसपी बंद हुई है। यह सच्चाई है, जिसे हम छुपा कर बातें करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और यह खरीदी नए कानून बनने के बाद बढ़ी है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, प्लीज बैठिए । माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर बोलने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर दिया था । जब भी कोई प्रतिपक्ष का माननीय सदस्य या नेता बोलता था, मैंने सभी से कहा था कि सभी की बातें ध्यान से सुनें, किसी को टोका-टोकी न करें । रात को एक बजे तक जब सदन में अंतिम वक्ता था, मैंने सभी को पर्याप्त समय दिया है । मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं । आप अपनी बात कह चुके हैं, इसका जवाब माननीय प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जवाब दें ।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, यह हो-हल्ला, यह आवाज़, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची-समझी रणनीति के तहत है । …(व्यवधान) और सोची-समझी रणनीति यह है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा! सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा, इसलिए हो-हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है, लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मानकर चलो । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद पॉर्लियामेंट में कानून बनने के बाद मैं किसी भी किसान से पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थीं, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा का कोई जवाब देता नहीं है । सब कुछ वैसा का वैसा पुराना है । क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वह भी क्या कम्पलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायने रखता है जब वह कम्पलसरी हो । यह तो ऑप्शनल है । आपकी मर्जी

है यहां जाइए, आपकी मर्जी नहीं है, वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो, वहां किसान चला जाए, यह व्यवस्था की गई है। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है।…(व्यवधान)

अधीर रंजन जी, प्लीज़ अब ज्यादा हो रहा है। …(व्यवधान) मैं आपकी रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं। मैंने पहले कह दिया, आपने जितना कहा, जहां रजिस्टर होना था, हो गया। …(व्यवधान) बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी, बाबा क्यों इतना? …(व्यवधान) दादा, देखो मैंने बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया।…(व्यवधान) अधीर रंजन जी, प्लीज़, अच्छा नहीं लगता है। …(व्यवधान) मैं इतना आदर करता हूं आपका, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? …(व्यवधान) आप पहले ऐसा नहीं करते थे। …(व्यवधान) हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी और दादा, प्लीज़, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, नए कानून किसी के लिए बंधनकर्ता नहीं हैं, ये ऐसे कानून हैं, उनके लिए ऑप्शन है। जहां ऑप्शन है, वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता है। हां, ऐसा कोई कानून जो थोप दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। …(व्यवधान)

मैं देख रहा हूं, आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं, ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं, वे ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वे कहते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा होगा। अरे भई जो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ होना ही नहीं है, उसका भय पैदा करके …(व्यवधान) पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ और एक दम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, देश में आग लगा दी जाए, ये जो तौर-तरीके हैं, जो भी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन

सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। …(व्यवधान) प्लीज़, आपको बाद में समय मिलेगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है …(व्यवधान) उस बजट के माध्यम से ये जो हमारे निर्णय हैं, वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नेता है, आप ऐसे क्यों करते हैं? आप सीनियर व्यक्ति हैं।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: इस सदन के साथी भलीभांति इस बात को समझते हैं, कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर-शोर से अपनी बात कही, लेकिन जिन बातों को लेकर उनको कहना चाहिए कि यह नहीं वह है, अपेक्षा यह होती है।…(व्यवधान) वे इतना स्टडी करके आए हैं। …(व्यवधान) इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं। …(व्यवधान)

मैं हैरान हूं कि पहली बार एक नया तर्क इस सदन में आया कि हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? …(व्यवधान) हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? …(व्यवधान) पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है। किसी ने किसी के गले मढ़ा नहीं है। ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक-आध कोने में न भी हो, लेकिन यह कम्पलसरी नहीं है, इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी

कहना चाहता हूं, इस देश में दहेज के खिलाफ कानून बना, यह इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बने, यह किसी ने मांग नहीं थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कि कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को सम्पत्ति में अधिकार, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। …(व्यवधान) शिक्षा को अधिकार देने की बात, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है। बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तब कानून बनते हैं। …(व्यवधान) क्या कभी इतने सुधार हुए? बदलते हुए समाज ने इसे स्वीकार किया कि नहीं किया, यह दुनिया पूरी तरह जानती है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम वॉकआउट करते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हमने आपको बोलने का पर्याप्त समय और अवसर दिया है। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

16.58 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri E.T. Mohammed Basheer and some other Hon. Members left the House.

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, हम यह मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब-करीब छ: दशक तक इस देश में एकछत्र शासन किया। इस पार्टी का यह हाल हो गया है कि पार्टी का राज्य सभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोक सभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडिड पार्टी, ऐसी कन्फ्यूज्ड पार्टी न खुद का भला कर सकती हैं और न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? …(व्यवधान)

कांग्रेस पार्टी राज्य सभा में भी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य सभा में बैठे हैं, लेकिन वे बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद-विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं और यहां कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका है। अब समय तय करेगा।

17.00 hrs

माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है, जब 2014 में मैं यहां पर आया, तो ऐसे केसेज मेरे सामने आए कि किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को पचास रुपये और किसी को 250 रुपये। यही देश में चलता था। मैंने कहा कि इन लोगों का ऑटो रिक्शा में पेंशन लेने के लिए जाने का खर्च उससे ज्यादा होता होगा। इसके लिए किसी ने मांग नहीं की थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। उसमें से बाहर लाकर हमने मिनिमम 1000 रुपये देने का निर्णय लिया था। मुझसे किसी ने मांगा नहीं था। मुझे किसी भी किसान संगठन

ने, इस देश के छोटे किसानों को कुछ पैसा मिले, इसकी व्यवस्था के लिए किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने 'प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना' के तहत, उनको सामने से धन देना शुरू किया।

माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है, जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष, ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया था। कभी न कभी तो किसी को जिम्मेवारियां लेनी ही होती हैं। हां, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है। जब बात सत्य प्रतीत होती है, तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। हिन्दुस्तान तो इतना बड़ा देश है। कोई भी निर्णय शत-प्रतिशत सबको स्वीकार्य हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। यह देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। किसी एक जगह पर वह बहुत लाभ करता होगा और किसी दूसरी जगह पर कम लाभ करता होगा, किसी जगह पर थोड़ा पहले का जो लाभ है, उसको वंचित करता होगा, लेकिन, ऐसी तो इतने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है। देश में जो निर्णय होते हैं, एक लार्जर इंट्रेस्ट के लिए होते हैं। 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' निर्णय होते हैं और उसको लेकर हम काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सोच के साथ मेरा विरोध है कि जब यह कहा जाता है कि मांगा था क्या? क्या हम सामंतशाही हैं कि देश की जनता याचक की तरह हम से मांगे? उनको मांगने के लिए मजबूर करें? यह मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार को जिम्मेवारियां लेकर आगे आना चाहिए। इस देश की जनता ने 'आयुष्मान योजना' नहीं मांगी थी। लेकिन, हमें लगा कि गरीब को बीमारी से बचाना है, तो 'आयुष्मान भारत' योजना लेकर जाना चाहिए। इस देश के गरीब

ने बैंक अकाउंट के लिए जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था, हमने 'जन-धन योजना' बनाई थी और हमने ही जन-धन योजना से उसके खाते खोले थे। स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी? लेकिन, देश के सामने स्वच्छ भारत को लेकर गए, मामला चल पड़ा। लोगों ने कहां कहा था कि मेरे घर में शौचालय बनाओ, किसी ने नहीं मांगा था। लेकिन, हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए, तभी सरकार काम करे, वह वक्त चला गया। यह लोकतंत्र है, सामंतशाही नहीं है। हमें लोगों की संवेदनाओं को समझकर सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बनाकर हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें नागरिकों को अधिकार देने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाएं हैं। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): अगर, किसान नहीं चाहता है, तो ये कृषि कानून रिपील क्यों नहीं कर देते? …(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: एक मिनट सुनो दादा…(व्यवधान) दादा मैं वही कह रहा हूं …(व्यवधान) जो नहीं चाहता है, वह उसका उपयोग न करे। उसके पास पुरानी व्यवस्था है। …(व्यवधान) आप बुद्धिमान लोगों को यही छोटी-सी बात समझानी है कि उसको नहीं चाहिए, तो पुरानी व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम एक बात जानते हैं, हम सब इस बात से परिचित हैं कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, वह बीमारी पैदा करता है। जो बहता हुआ पानी है, वह जीवन को उमंग से भर देता है। जो चलता है, चलता रहे, चलने दो। अरे यार, कोई आएगा, तो करेगा। ऐसे थोड़े चलता है। जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस क्वो, देश को

तबाह करने में इस मानसिकता ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। दुनिया बदल रही है, कब तक हम स्टेटस क्वो - स्टेटस क्वो - स्टेटस क्वो ऐसे ही करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि स्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। इसलिए देश की युवा पीढ़ी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। लेकिन आज मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। उससे जरूर हमारे ध्यान में आएगा कि स्टेटस क्वो के कारण होता क्या है। यह करीब 40-50 साल पुरानी घटना का किस्सा है। मैंने कभी किसी से सुना था। इसलिए उसकी तारीख-वारीख में इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना था, जो मेरी स्मृति में है, मैं वह बता रहा हूं।

60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक कमीशन बैठा था। राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़े, यह उस कमीशन का काम था। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने उसको देखा, तो उसके अंदर एक अर्ज़ी थी। उसमें लिखा था कि मैं बहुत साल से इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उसने ऐसी एक चिट्ठी लिखी थी। जिसने चिट्ठी लिखी थी, चेयरमैन ने उसको लिखा कि तुम कौन हो? तुम्हारा पद क्या है, वगैरह-वगैरह? तो उसने फिर दूसरा जवाब लिखा कि मैं सरकार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है, वहां सीसीए के पद पर बैठा हूं। मैं सीसीए के पद पर काम कर रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि ये सीसीए क्या होता है? कुछ पता तो है नहीं। ये सीसीए कौन होता है? तो उन्होंने उसको दोबारा से चिट्ठी लिखी कि हमने सीसीए शब्द को कहीं देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, यह है क्या, हमें बताइए तो। तब उसने कहा कि साहब मैं बंधा हुआ हूं कि वर्ष 1975 के बाद ही मैं इस विषय का जिक्र कर सकता हूं। अभी नहीं कर सकता हूं।

चेयरमैन ने उसको फिर से लिखा कि ऐसा करो भाई कि वर्ष 1975 के बाद जो भी कमीशन बैठे, वहां जाना। आप मेरा सिर क्यों खा रहे हैं? तब उसको लगा कि यह मामला तो बिगड़ गया। उसने कहा कि ठीक है साहब, मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। तब उसने उनको चिट्ठी लिखकर बताया कि साहब, मैं सीसीए के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा हूं और मुख्य सचिव के कार्यालय में हूं। उसने बताया कि सीसीए का मतलब होता है - 'चर्चिल सिगार असिसटेंट'। यह सीसीए का पद है, मैं जिस पर काम करता हूं। ये है क्या? तो वर्ष 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने थे, तो त्रिची से, हमारे यहां से उनके लिए सिगार जाती थी। जो सीसीए था, उसका काम यह था कि वह सिगार उन तक सही से पहुंची कि नहीं पहुंची, इसकी चिंता करना और इसके लिए एक पद बनाया गया था। उस सिगार की सप्लाई होती थी।

वर्ष 1945 में वह चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी वह पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद भी यह पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था। उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रपोज़ल मिले, इसके लिए उसने एक चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए, ऐसा स्टेटस क्वो, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।

मैं जब मुख्य मंत्री बना था, तो एक रिपोर्ट आती थी कि आज कोई बैलून नहीं आया और कोई पर्चे नहीं फेंके गए। शायद यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय शुरू हुआ होगा। अभी-भी वह चलता था। यानी हमारी व्यवस्था में ऐसी चीजें घुसी हुई हैं। हमें लगता है कि भाई हम रिबन काटेंगे, दीया जलाएंगे, फोटो निकल जाएगी और हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमें जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर इरादा नेक हो, तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। यह हो सकता है कि हमें एकाध में परिणाम न भी मिलें। आप

देखिए, हमारे देश में एक समय था जब किसी को अपना सर्टिफिकेट सर्टिफाइड करवाना हो तो कॉर्पोरेटर, काउंसलर के बाहर सुबह क्यू लग जाती थी और जब तक ठप्पा न मारे, मजा है कि वह तो नहीं मारता था, लेकिन एक लड़का बाहर बैठता था जो सिक्का मार देता था। अब यह चल रहा था। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है? हम देश के नागरिकों पर भरोसा करें और मैंने आकर अटेस्ट करने वाली सारी प्रथाओं को खत्म कर दिया। इससे देश के लोगों को लाभ हुआ। हमें बदलाव के लिए काम करना चाहिए, सुधारों के लिए काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर इंटरव्यू होते थे। मैं अभी भी हैरान हूँ कि एक व्यक्ति एक दरवाजे से अन्दर आता है, तीन लोगों का पैनल बैठा होता है, वे उसका मुंह देखते हैं, उसका नाम भी पूरा नहीं पूछते और इसी तरह वह निकल जाता है। वह इंटरव्यू कॉल होता है और फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। हमने कहा कि इसका क्या मतलब है? उसकी सारी एजुकेशन क्वालीफिकेशन को इकट्ठा करो, मेरिट के आधार पर कम्प्यूटर को पूछो, वह जवाब दे देगा। यह तीसरे और चौथे श्रेणी के लोगों के लिए इंटरव्यू का क्या माहौल बनाया हुआ है? लोग कहते थे कि सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगी। हमने खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि हम देश में चीजों को बदलें। बदलने से, असफलता के डर से अटककर रहना कभी भी किसी का भला नहीं करता है। हमें बदलाव करने चाहिए और हम बदलाव करने का प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ खेती, हमारे यहाँ किसानी एक प्रकार से हमारी संस्कृति की मुख्य धारा का हिस्सा रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति की प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कृषि के संबंध में ग्रंथ अवेलेबल हैं। बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे। हम जनक राजा की बात तो जानते हैं। कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं। कोई भी बड़ा परिवार होगा, हमारे यहाँ किसानी और खेती, हमारे जैसे देश में सिर्फ कल्टीवेशन और क्रॉप नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार से समाज-जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा है। हम उसी

हिस्से को लेकर कह रहे हैं और यह हमारी संस्कृति ही है। हमारे पर्व हों, त्यौहार हों, हमारे गीत हों, सब चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के समय के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। यह हमारे यहाँ पर परम्परा रही है। हमारे जितने लोकगीत हैं, वे भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े हुए होते हैं और त्यौहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं या शुभकामना देते हैं तो उसके साथ धन-धान्य शब्द उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ धन और धान्य को अलग नहीं करते हैं। सिर्फ धन भी नहीं होता है और धान्य भी कोई शब्द नहीं होता है, धन-धान्य बोला जाता है। हमारे यहाँ धान्य का यह मूल्य, यह महत्व समाज जीवन का हिस्सा है और जो स्थितियां बदली हैं, उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैंने राज्य सभा के अन्दर विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है। देश के 80-85 प्रतिशत वर्ग को उपेक्षित रखकर देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमें उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नम्रता के साथ सोचना होगा। मैंने गिनकर बताया है कि छोटे किसानों की कैसे उपेक्षा हुई है। किसानों के नाम पर हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है और जब छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा यह मैं पूरी तरह समझता हूँ। हमारे यहाँ जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है। परिवार के अन्दर जमीन बँट जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पर यह कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान की जमीन की मालिकी इतनी कम हो रही है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर उसे अपने खेत में ही ट्रेक्टर को टर्न करना होगा तो वह नहीं कर पाएगा। इतना ही जमीन का टुकड़ा होगा। यह चौधरी चरण सिंह जी के शब्द हैं। ऐसी चिंता हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने की है, तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। आजादी के बाद हमारे देश में 28 प्रतिशत खेतीहर मजदूर थे। 28 परसेंट लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसेस हुआ उसके तहत खेतीहर मजदूर की जनसंख्या 28 से 55 परसेंट हो गई। अब यह किसी भी

देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 परसेंट से हमारा खेतीहर मजदूर 55 परसेंट पर पहुँच गया है और जमीन कम होने के कारण खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए, वह नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबतें आई हैं और वह किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है।

दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में जो निवेश होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही है और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है, उससे जो कुछ भी निकलता है, बच्चों को पालने और पेट भरने में चला जाता है, इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, जब तक हम छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। इसलिए, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले, उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित रहे, उससे भी बात बनने वाली नहीं है। दुनिया में मार्केट क्या है, आज उसके लिए रिसर्च हो रहे हैं। उस प्रकार की चीजों का वह उत्पादन करे और उन चीजों को दुनिया के बाजार में बेचे। भारत की आवश्यकताएं हैं, हम बाहर से चीजें न लाएं। मुझे याद है, बहुत पहले जब मैं यहां नॉर्थ पार्ट में संगठन का काम करता था, मुझे फारूख साहब के साथ भी काम करने का काफी मौका मिला, तब मुझे हरियाणा का एक किसान अपने खेत में ले गया। उसने बड़ा आग्रह किया, तो मैं चला गया। उसकी छोटी सी जगह थी, शायद उसकी एक या दो बीघे जमीन थी, लेकिन बहुत प्रगति की थी। वह मेरे पीछे पड़ा कि आइए, आइए। मैंने कहा कि है क्या बात? फिर बोले कि एक बार आइए, तब देखिए। फिर मैं उसके यहां गया। करीब तीस-चालीस साल पहले की बात है, तीस साल हो गए। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के फाइव स्टार होटल्स में जो चीजें, सब्जियां वगैरह विदेशों से लाते थे, उसने उसकी स्टडी की। अगर उनको छोटे कॉर्न चाहिए, उनको

छोटे टमाटर चाहिए तो उसने अपनी उस छोटी सी जगह में, रिस्ट्रिक्टेड वातावरण के अंदर लोगों की मदद लेकर वह फसल तैयार की। मजा है कि दिल्ली के फाइव स्टार होटलों में उसका माल जाना शुरू हो गया। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें, क्या हमने कभी सोचा है कि स्ट्रॉबेरी, हम बाई एंड लार्ज मानते हैं कि वह ठण्डे प्रदेशों में होती है। मैं देख रहा हूं कि कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रॉबेरी हो रही है। बुंदेलखण्ड में, जहां पानी की दिक्कत है, वहां हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे यहां संभावनाएं हैं। हमारे किसान को हम गाइड करके इन नई-नई चीजों पर ले जाएंगे, मैं जरूर मानता हूं कि हमारे देश का किसान आगे आएगा। यह ठीक है कि उसका अनुभव ऐसा है कि उसे हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको साथ लेकर चलना पड़ता है और अगर वह चल पड़ता है तो वह कमाल करके दिखाता है। उसी प्रकार से, कृषि के अंदर जितना नया निवेश बढ़ेगा, मैं मानता हूं कि रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और दुनिया में हमें एक नया मार्केट भी मिल सकता है। हमारे यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एग्रो-बिज़ इंडस्ट्री की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, इसलिए हमें इस पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जरूर काम करना चाहिए। कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है और कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं, वे कम हों। उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनको कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसानों को एक बराबरी का प्लेटफार्म दे पाएं, आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाएं, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाएं, इस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच, पुराने मानदण्ड अगर किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सेकण्ड ग्रीन रिवोल्यूशन की बातें हमने कर लीं, अब हमें नए तौर-तरीके लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सबको इस पर चिन्तन करना चाहिए। यह राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यह देश की

भलाई के लिए बहुत आवश्यक है और मिल-बैठकर हमें उस पर सोचना चाहिए। सभी दल, चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में, यह हम सबका दायित्व है और हम 21वीं सदी में, 18वीं सदी की सोच से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसी को हमें बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्र में फंसा रहे, उसको जिन्दगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित न रहना पड़े, उसे पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न रहना पड़े, यह जिम्मेवारी भी हम सबकी है और उस जिम्मेवारी को निभाना है। हमारा अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता देश के लिए कुछ और ज्यादा देश के लिए कर सके तो बहुत अच्छा होगा।

सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वह कहते थे – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते, तब तक पूर्ण आजादी की उनकी बात अधूरी रहेगी। इसलिए बड़ा बदलाव करके हमें, हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा और हम सबको मिलकर करना होगा। कुछ गलत करने के इरादे से नहीं होना चाहिए, अच्छा करने के इरादे से होना चाहिए, किसी की भलाई करने के लिए होना चाहिए।

हमारी सरकार ने अगर आप हर कदम पर देखेंगे तो छोटे किसानों के लिए हमने बीज से बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं, जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटे किसानों को लाभ दे सकते हैं। जैसे, डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, सशक्त भी हैं और उनका एक मजबूत वैल्यु चेन भी बना है। सरकार का दखल कम से कम है, फिर भी वह अपनी मजबूती पर आया है। हम धीरे-धीरे फल, फूल, सब्जी की तरफ बल दे सकते हैं और उसके बाद धान्य की तरफ

बल दे सकते हैं, हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं। हमारे पास मॉडल है, सफल मॉडल है। हमें उस सफल मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, हमें उनको वैकल्पिक बाजार देना चाहिए।

हमने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दस हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का किया है। ये किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। एफपीओज़ बनाने का महाराष्ट्र में विशेष प्रयोग हुआ है। कई और राज्यों ने भी, जैसे केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफी मात्रा में एफपीओज़ बनाने के काम में लगे हुए हैं। इसके कारण किसान अपना बाजार ढूंढने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरेगा। इन दस हजार एफपीओज़ के बनने के बाद आप देखना, गांव के अंदर किसान छोटे हैं, बाजार की ताकत किसान डिक्टेट करेगा, वह बन जाएगी और किसान ताकतवर बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। इन एफपीओज़ के माध्यम से बैंक से पैसा भी मिल सकता है। वह छोटे-छोटे भण्डारण की व्यवस्था कर सकता है। अगर वह थोड़ी ज्यादा ताकत इकट्ठी करे तो छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है।

हमने एक लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तय किया है और उसको हम स्वयं सहायता समूह, यानी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी करीब सात करोड़ बहनें जुटी हैं। गांव की बहनें, अल्टीमेटली वे किसान की ही बेटियां होती हैं, किसी न किसी खेती से जुड़े हुए परिवार की बेटियां होती हैं। वह नेटवर्क आज किसानों की भलाई में काम आ रहा है। वे इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर बनते जा रहे हैं। इनके द्वारा भी मुझे याद है, गुजरात में वलसाड जिले में आदिवासियों के पास जमीन भी काफी ऊपर-नीचे है, अनईवन लैंड है और बहुत छोटी जमीन है। हमने एक वाडी प्रोजेक्ट किया था। अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहां मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूं। वह बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग था। उस आदिवासी बेल्ट के अंदर महिलाएं काफी काम करती थीं। मशरूम, काजू, वे गोआ की

बराबरी का काजू पैदा करने लग गए थे और उन्होंने मार्केट प्राप्त किया था। छोटे किसान थे, छोटी जगह थी, लेकिन प्रयत्न किया तो परिणाम मिला और अब्दुल कलाम जी ने इसके विषय में लिखा भी है। उन्होंने आकर देखा था। मैं कहता हूं कि हमें नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए।

हमारे यहां दाल की कठिनाई थी। मैंने 2014 में आकर किसानों के सामने रिक्वेस्ट की। उन्होंने देश के अंदर हमें दाल की कठिनाइयों से मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया। मैं देख रहा हूं आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन, ई-नाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है।

हमने 'किसान रेल' का एक प्रयोग किया, इस कोरोना कालखण्ड का उपयोग करते हुए। यह 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान', इनसे भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों को पहुंचाने में एक बहुत बड़ी मदद मिली है। एक प्रकार से यह ट्रेन जो है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूंगा कि यह किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर-सुदूर गांवों के छोटे किसानों को अन्य राज्य के दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और उसने क्या भेजा, उसकी ताकत बढ़ी हुई थी। उसने 30 किलो अनाज वहां से 'किसान रेल' से भेजा और खर्चा कितना हुआ - 124 रुपए। उसको बड़ा बाजार मिल गया। यह तीस किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद इसे कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन यह व्यवस्था थी, तो यहां का किसान वहां तक जा कर अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से उसको जो भी सुविधा मिलती है, मैंने देखा है कि किसी ने अंडे भेजे हैं। उसको अंडे भेजने में 60 रुपए खर्च हुए। उसके अंडे समय पर वहां पहुंच गए और उसका माल बिक गया। देवलाली के एक किसान ने सेवेन केजी कीवी को दानापुर भेजा। उसको कीवी भेजने में 62 रुपए खर्च हुए, लेकिन उसको सात किलोग्राम कीवी के लिए अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य में

जा कर मिला। 'किसान रेल' छोटी बात लगती है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है – भारत की अर्थनीति। 'भारत की अर्थनीति' किताब में चौधरी साहब ने सुझाव दिया है – सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में, देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने-जाने पर कोई प्रतिबंध न हो। यह चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई-नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के रूप में हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, इतने सालों तक सरकार चलाई है, मैं नहीं मानता हूं कि उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। उनको पता भी था और समझ भी थी। आज मैं उनको उन्हीं की बात याद कराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि वे मौजूद नहीं है, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं :-

> "The State took initiative to amend their State APMC Act in the year 2005 itself providing for direct marketing, contract farming, setting up of a private market, consumer/farmer markets, e-trading, and notified the rules in 2007 to implement the amended provisions. In fact, 24 private markets have already come up in the State."

यह किसने कहा था, यह एपीएमसी एक्ट बदल दिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था, ऐसे 24 बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था, डॉ. मनमोहन सिंह जी के सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पावर जी यह गर्व की बात कर रहे थे। मैं यह उनका कोट कह रहा हूं। अब आज एकदम से वे उल्टी बात कर रहे हैं। इसलिए शक होता है कि आखिर आपने किसानों को भ्रमित करने

के लिए यह रास्ता क्यों चुना है? देश की मंडिया चल रही हैं, सिंडकेटिंग और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस के बारे में जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि मंडियो वगैरह का नेक्सस है, इसके बारे में आप का क्या कहना है, तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वह भी बड़ा इट्रेस्टिंग है। उन्होंने कहा था कि किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड होंगे, तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठ-गांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमें समझना होगा। जहां इनकी सरकारें हैं, अलग-अलग सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम या अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया है। हम तो वे हैं, जिन्होंने 1,500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं कि 'न खेलब न खेले देब, खेलवे बिगाड़ब' अर्थात् न खेलूंगा, न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ कर रखूंगा।…(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): काले कानून खत्म करो।…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतीय का पसीना लगता है, तब जाकर देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है।

सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्ट फोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया, तो मोबाइल पर बात करना करीब-करीब जीरो हो गया और दुनिया में सबसे सस्ता डेटा आज हिन्दुस्तान में है। यहां तक की हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं?

अगर आज भारत मानवता के काम आ रहा है, तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एन्टरप्राइज़ का रोल है। हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे, कोई जमाना होगा, जब सरकार सब कुछ करेगी। उस जमाने में जरूर हुआ होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है। समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा। आज यह काम आने वाला नहीं है। मैंने लाल किले से बोला कि वेल्थ क्रिएटर भी देश के लिए जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोज़गार कैसे देंगे और सब कुछ बाबू ही करेंगे, आईएएस बन गया, तो वह फर्टिलाइजर कारखाना भी चलाएगा। आईएएस हो गया, तो वह केमिकल का कारखाना भी चलाएगा। आईएएस हो गया, तो वह हवाई जहाज भी चलाएगा। हमने ये कौन सी बड़ी ताकत बना कर रख दी है? बाबुओं के हाथ में देश देकर हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसे उतना ही लाभ होने वाला है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब तथ्यों के आधार पर बात नहीं टिकती है, तो ऐसा होता है, जो अभी देखा। आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और ये महौल आंदोलनजीवी पैदा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्मय है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के

लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए कि तीन किसान कानून की बात हो और दंगाबाज़ लोग, जो जेल में हैं, संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, आतंकवादी लोग जो जेल में हैं, नक्सलवादी लोग जो जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर उनकी मुक्ति की मांग करना, यह किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों की स्वीकार की हुई एक व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा पर कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, ये तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद में टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वह किसान की मांग से सुसंगत हैं? …(व्यवधान)

<u>17.36 hrs</u>

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and Prof. Sougata Ray left the House.

किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, बल्कि आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। इसलिए देश को आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना, वह भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच कर रख देना। देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य आदमी की आशा-आकांक्षाएं बहुत हैं, हमें उनको लेकर आगे बढ़ना है और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वर्ग, उनकी एक पहचान है, talking the right things. यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग को ऐसे लोगों से नफरत और चिढ़ है, जो doing the right things पर चलते हैं। ये फर्क समझने जैसा है। Talking the right things की वकालत करने वाले, जब doing the right things की बात आती है, तो उसी

के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। जो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, 'वन नेशन वन इलेक्शन' की जब बात आती है, तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही लोग जब जेंडर जस्टिस की बात आती है, तो बढ़-चढ़कर बोलते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात आती है, तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये एन्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर के सामने जाकर झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, यह होना नहीं चाहिए, इसके लिए आंदोलन चलाते हैं, तमिलनाडु तो उसका भुक्तभोगी है। उसी प्रकार से जो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर कोर्ट में जाकर रिट करते है, अपील करते हैं, पीआईएल करते हैं, दिल्ली के लोग, वही लोग पराली जलाने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का इन लोगों का प्रयास है और उसे देश को समझने की जरूरत है।

मैं देख रहा हूं कि इन 6 सालों में विपक्ष के मुद्दे कितने बदल गए हैं। हम भी कभी विपक्ष में थे, लेकिन हम जब भी विपक्ष में थे, तो आपने देखा होगा कि देश के विकास के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम शासन में बैठे हुए लोगों को घेरते थे, हम आवाज उठाते थे, हम प्रयास करते थे। मैं हैरान हूं, आजकल विकास के मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते हैं, मैं इंतजार करता हूं कि ऐसे मुद्दे उठाएं, ताकि हमें कुछ बोलने का मौका मिले कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें वह मौका नसीब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास इन मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। इसलिए वे न कितनी सड़कें बनी पूछते हैं, न कितने पुल बने पूछते हैं, न बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या हुआ है, कितनी पटरियां बिछी हैं, इन सारे विषयों पर उन्हें चर्चा करने में इंट्रेस्ट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है और भारत को आगे जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बहुत जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप के लिए

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना, यह समय की मांग है और हम सबको इसे स्वीकार करना होगा । इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी देश की गति भी तेज होने वाली है, उसकी दिशाएं भी व्यापक होने वाली हैं। हमें इसीलिए प्रयास करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक नई संभावनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर जन्म देता है। नए अवसरों को जन्म देता है। रोज़गार के नए अवसर लेकर आता है। इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट करने की उसकी ताकत रहती है और इसीलिए हमें इस बात पर बल देने की जरूरत है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वोट बैंक का अवसर नहीं होता है। कागज पर घोषित कर देना कि यह रोड बनेगा, एक चुनाव जीत गए। कुछ दिन बाद वहाँ जाकर सफ़ेद पट्टी करवा दो, दूसरा चुनाव जीत लो। तीसरी बार वहाँ जाकर थोड़ी मिट्टी डाल दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इस काम के लिए नहीं है। सचमुच में, जीवन बदलने के लिए और व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की आवश्यकता है। इसलिए बजट में इस पर 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की अभूतपूर्व योजना के साथ हम चल रहे हैं।

देश के 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन, छ: लाख से ज्यादा गाँवों में तेज इंटरनेट, बिजली के क्षेत्र में 'वन नेशन, वन ग्रिड' के कांसेप्ट को साकार करने में हम सफल हुए हैं। सोलर पॉवर सहित रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया के पाँच शीर्ष देशों में भारत ने अपनी जगह बना ली है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड एनर्जी से संबंधित हाइब्रिड पार्क आज भारत में बन रहा है। विकास में हम एक नयी तेजी देख रहे हैं, हम एक नये पैमाने पर जा रहे हैं।

हमने देखा है कि जहाँ-जहाँ असमानता है, खासकर पूर्वी भारत में, हमें देश के पूर्वी भारत के विकास को उस स्थिति पर लाना होगा ताकि पश्चिम भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी वह तुरन्त बराबरी करे, तो देश के प्रगति की संभावना बढ़ेगी। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास पर

विशेष बल दिया है। चाहे गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, रेलवे लाइन बिछाने की बात हो या इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। इतना ही नहीं वॉटरवेज़ के द्वारा नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है, हमारा यह फोकस है कि देश को एक संतुलित विकास की तरफ ले जाना चाहिए। देश में एक भी क्षेत्र पीछे न रह जाए, उस प्रकार से विकास की अवधारणा को लेकर हमने आगे चलने का काम किया है। इसलिए ईस्टर्न इंडिया पर हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं।

दर्जनों जिलों में सीएनजी, पीएनजी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जाल बिछाने में हम सफल हुए हैं। गैस पाइपलाइन पहुंचने के कारण फर्टिलाइजर के उत्पादन में भी तेजी आई है। फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद पड़े थे, उनको दोबारा खोलने की संभावना पैदा हुई है क्योंकि हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया, हमने उन पाइपलाइंस को लगाने के ऊपर बल दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, हम कई वर्षों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात सुनते आए हैं। लेकिन पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या हाल था? जब उनको सेवा करने का मौका मिला था, तो सिर्फ एक किलोमीटर काम हुआ था। आज छ: साल में करीब-करीब छ: सौ किलोमीटर काम हुआ है यानी उस पर ट्रेन चलनी शुरू हो गयी है, उस पर माल ढोने का काम शुरू हो गया और वह सेक्शन काम कर रहा है।

यूपीए के समय में, अगर मैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्त्व रखता है। लेकिन उसके प्रति इतनी उदासीनता की गई, इतनी लापरवाहियाँ की गईं, देश के अन्दर हम उन विषयों की पब्लिकली चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह देश की सिक्युरिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन यह चिन्ता का विषय है। चूंकि वहाँ लोग नहीं हैं,

वोट्स नहीं हैं, तो जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा कि फौजी आदमी जब जाएगा, तो जाएगा, देखा जाएगा, क्या होने वाला है? यह इसी सोच का परिणाम था। इतना ही नहीं, एक बार तो एक रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम बॉर्डर पर इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं करते हैं क्योंकि कहीं दुश्मन देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग न कर ले। कमाल के हो भाई! इस सोच को बदलकर, जो अपेक्षाएं और आयोजन थे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पूर्ण किया है।

जहाँ तक एलएसी पर ब्रिजेज़ की बात है, मेरा अंदाज है कि ऑलरेडी लगभग 75 ब्रिजेज़ के काम एलएसी पर तेजी से चल रहे हैं।

हमने सैंकड़ों किलोमीटर रोड्स बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने जो काम थे, उनमें से करीब-करीब 75 परसेंट काम को हमने पूरा भी कर लिया है और आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग-अलग क्षेत्र होते हैं। उसी प्रकार से आप देखें हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है। उसका हाल क्या था? अटल जी के समय में जिसकी कल्पना की गई, लेकिन अटल जी के जाने के बाद वह किसी-न-किसी फाइल में लटका रहा, अटका रहा। एक बार छोटा-सा काम हुआ, फिर अटक गया।

ऐसे ही करते-करते समय चला गया। पिछले छः सालों में हम इसके पीछे लगे और आज अटल टनल काम कर रहा है, देश की फौज भी आराम से, वहां से मूव कर रही है और देश के नागरिक भी मूव कर रहे हैं। …(व्यवधान) जो रास्ते, जो इलाके छः महीनों तक बंद रहते थे, वे आज काम करने लगे है। …(व्यवधान) अटल टनल काम कर रहा है और इसी प्रकार से मैं यह बात साफ कहना चाहूंगा कि जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, यह देश का सामर्थ्य है, हमारे देश के सुरक्षा बलों का

सामर्थ्य है, देश को कभी नीचा देखना पड़े, ऐसी स्थिति हमारे फौज के जवान कभी नहीं आने देंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। …(व्यवधान)

आज उनको जहां भी, जो भी जिम्मेदारी मिली है, वे बखूबी निभा रहे हैं। वे विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच में भी बहुत मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, हमारे वीरों पर गर्व है, उनके सामर्थ्य पर हमें गर्व है। …(व्यवधान) देश हिम्मत के साथ अपने फैसले भी करता है और हम उसको आगे भी ले जा रहे हैं। मैंने कभी एक ग़ज़ल सुनी थी। मुझे इसमें ज्यादा रुचि तो नहीं है, यह मुझे ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था -

मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूं,
वो ग़ज़ल आपको सुनाता हूं।

मुझे लगता है कि ये जो साथी चले गए हैं, वे जिन चीज़ों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वे वही सुनाते रहते हैं। जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वे कहते रहते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें अब चलना ही होगा, हमें बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही होगा। मैंने कहा है कि पोस्ट-कोरोना का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब हमारे सामने आ रहा है, तो भारत को कुछ नहीं बदलेगा की मानसिकता छोड़ देनी होगी। यह तो चलता है, चलता रहेगा कि मानसिकता छोड़ देनी पड़ेगी।

इसमें 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। प्रॉब्लम्स होंगी, अगर मिलियन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो बिलियन्स ऑफ सॉल्युशन्स भी हैं। …(व्यवधान) यह देश ताकतवर है और इसलिए हमें अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विशवास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। …(व्यवधान) मुझे विश्वास है कि हम इन बातों को लेकर आगे चलेंगे। यह बात सही है कि मिडिलमैन कल्चर खत्म हुआ है, लेकिन देश की मिडिल क्लास की भलाई के लिए बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, जिसके कारण देश को आगे बढ़ाने में

अब मिडिल क्लास का जो बल्क है, वह बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। इसके लिए जो भी आवश्यक कानूनी व्यवस्थाएं करनी पड़ीं, वे कानूनी व्यवस्थाएं भी हमने की हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रकार से विश्वास के साथ, एक प्रगति के वातावरण में देश को आगे ले जाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। …(व्यवधान) मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभारी हूं कि अनेक विषयों पर उन्होंने स्पर्श किया है। जिनका राजनीतिक एजेंडा है, वह उनको मुबारक, हम देश के एजेंडे को लेकर चलते हैं, देश के एजेंडे को लेकर चलते रहेंगे। …(व्यवधान)

मैं फिर एक बार देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि आइए, टेबल पर बैठकर, मिलकर समस्याओं का समाधान करें। इसी अपेक्षा के साथ राष्ट्रपति जी के भाषण को, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।